

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2 (क)

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम-17 (क) को देखें।

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in

दूरभाष/फैक्स- 05965-230614 05965-23053

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत उत्तराखण्ड

पत्रांक:- 2460-95

सेवा में,

/शि0का0अ0/मान्यता/2018-19 दिनांक 28 मई 2018.

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक,
सैन्ट फ्रान्सिस टनकपुर
चम्पावत।

विषय:-

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 17 (क)
के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण
पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वघोषणा पत्र दिनांक 27-03-2018 के क्रम में आपके विद्यालय सैन्ट फ्रान्सिस टनकपुर, को अधिनियम की धारा -19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद चम्पावत में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या U.P.S.-2.1 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(^{1/3} आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पू0सं0 :- 2460-95

प्रतिलिपि,

/शि0का0अ0/मान्यता/2018-19 दिनांक उक्तानुसार।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत की सेवा में सादर प्रेषित।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
4. उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खण्ड जनपद चम्पावत।
5. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रा0शि0) चम्पावत।